Speed Post

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 15/07/2019

File No. HK/1/2019/MHRD2/DEOTH/RU-III

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
बेनिटो जुआरेज़ मार्ग,
साउथ कैंपस, साउथ मोती बाग,
नई दिल्ली – 110021

विषयः दिनांक 21–05–2019 को माननीय उपाध्यक्ष महोदया सुश्री अनुसुइया उईके द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय, के अधिकारियों के साथ हुई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग के मुख्यालय में दिनांक 21–05–2019 को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को **07 दिन** के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

(आर के दुबे)
सहायक निदेशक

<u>प्रतिलिपिः</u>

1. श्री हिमांशु कुमार,
   रूम नं. 66, सारामती पीजी होस्टल,
   यूनिवर्सिटी ऑफ़ दिल्ली, साऊथ कैंपस,
   नई दिल्ली – 110021
2. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- HK/1/2019/MHRD2/DEOTH/RU - III)

श्री हिमांशु कुमार, रूम नं. 66, सारामती पीजी हॉस्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैंपस, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र की उच्चशिक्षा में कथित रूप से बाधा डालने, बार-बार भेदभाव कर मानसिक उत्पीड़न करने व धमकी देने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 21.05.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री हिमांशु कुमार, रूम नं. 66, सारामती पीजी हॉस्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैंपस, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र की उच्च शिक्षा में कथित रूप से बाधा डालने, भेदभाव कर मानसिक उत्पीड़न करने व धमकी देने के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया गया था।
2. आयोग द्वारा मामले में संज्ञान लेकर दिनांक 11.02.2019 को रजिस्ट्रार, दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी की गई थी।
3. मामले में आयोग द्वारा दिनांक 08.03.2019 को बैठक की गई थी जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से प्रो. इनाक्षी खुल्लर शर्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और ओ.पी शर्मा, अनुभाग अधिकारी उपस्थित हुए थे।
4. आयोग द्वारा पिछली बैठक में निम्नलिखित अनुशंसा की गई थी:-
    - हिमांशु कुमार, रौल नं- 3812, एम.टेक दिसंबर 2017 तथा दिसंबर 2018 की सभी जांच की गई उत्तर पुस्तिका आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
    - पूरे कोर्स के दौरान अभ्यावेदक को किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिली है। अभ्यावेदक को छात्रवृति नहीं मिलने के कारणों की जांच कर आयोग को शीघ्र अवगत कराएं।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India
New Delhi

5. दिनांक 21.05.2019 को आयोजित बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रो. इनाक्षी खुल्लर शर्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और ओ.पी शर्मा, अनुभाग अधिकारी व ब्रिजमोहन उपस्थित हुए थे।

6. आयोग ने अभ्यावेदक को पहले अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा, अभ्यावेदक ने बताया कि अनुसूचित जनजाति का छात्र होने के कारण काफी भेदभाव किया जाता है। भेदभाव के कारण ही जानबूझकर फेल किया गया है। वर्ष 2017 के प्रथम सेमेस्टर में सभी विषयों की सैद्धांतिक परीक्षा में फेल किया गया था पुनः मुझे दुबारा नामांकन लेना पड़ा। वर्ष 2018 के दिसंबर की परीक्षा में भी दो सैद्धांतिक परीक्षा में फेल कर दिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है।

7. दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया, पिछली बैठक में आयोग द्वारा एम.टेक दिसंबर 2017 तथा दिसंबर 2018 की उत्तर पुस्तिका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के अधिकारी उत्तर पुस्तिका के साथ उपस्थित हैं। विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिका की कोर्डिंग की जाती है तो प्रोफेसर को यह पता नहीं होता है कि कौन सी उत्तर पुस्तिका किस विद्यार्थी की है तो परीक्षा विभाग के द्वारा उन्हें डीकोड कर लाया गया है।

8. आयोग ने यह जानना चाहा कि क्या अभ्यावेदक उत्तर पुस्तिका में प्राप्त अंक से संतुष्ट है।

9. इस पर अभ्यावेदक ने बताया, उन्हें इस प्रश्न पत्र में कम अंक दिए गए हैं। उन्होंने सही उत्तर लिखा है लेकिन उचित अंक नहीं दिया गया है।
   यूजीसी के द्वारा उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को प्रति माह 5,000 रुपये की फेलोशिप दी जाती है लेकिन विभाग द्वारा हमलोगों को वह फेलोशिप भी नहीं दी जाती है।

10. दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने बताया, अभ्यावेदक के द्वारा उचित जवाब नहीं लिखा गया है। उनके द्वारा जो जवाब लिखा गया है वह प्रश्न में ही दिया हुआ था तथा कुछ अन्य तथ्य जो प्रस्तुत किया गया है उसे प्रश्न में नहीं पूछा गया है। दिसंबर 2018 की परीक्षा में प्रश्न पत्र 1.1 में पूछे गए प्रश्न के उचित उत्तर नहीं दिए गए हैं। इनको इस प्रश्न पत्र में मात्र 2 अंक प्राप्त हुए हैं। 27-28 अंक आने पर विद्यार्थी को ग्रेस अंक देकर पास कराया जा सकता है लेकिन 2 अंक पर कैसे पास कराया जा सकता है। दिसंबर 2017 में ये फेल हो गए थे और फरवरी 2018 में ये फेलोशिप का फॉर्म जमा कर रहे थे। उस समय ये विभाग के छात्र नहीं थे। वह फेलोशिप यूजीसी की है न कि दिल्ली विश्वविद्यालय की।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अभी तक एक भी विद्यार्थी को उस तरह की फेलोशिप प्राप्त नहीं हुई है। विभाग द्वारा प्रवेश परीक्षा में शीर्ष के दस विद्यार्थियों को मात्र 500 रुपये प्रतिमाह की फेलोशिप दी जाती है।

11. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग द्वारा की गई अनुशंसा निम्नानुसार है :

- अभ्यावेदक को प्राप्त अंक से संतुष्टि नहीं है और विश्वविद्यालय द्वारा उसी प्रोफेसर को बैठक के लिए भेजा जाता है जिन्होंने उत्तर पुस्तिका की जांच की है। अतः मामले में अगली बैठक में रजिस्ट्रार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। साथ ही तृतीय पक्ष से उत्तर पुस्तिका की जांच कराई जाए।
- अभ्यावेदक की छात्रवृत्ति के मामले का निस्तारण अभी तक नहीं किया गया है इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी बैठक में बुलाया जाए।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी बैठक में बुलाया जाए ताकि मामले में अभ्यावेदक को समुचित तरीके से न्याय दिलाया जाना सुनिश्चित हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया द्वारा मामले में अगली बैठक दिनांक 25.07.2019 को 3.00 बजे निर्धारित की गई है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- HK/1/2019/MHRD2/DEOTH/RU - III)

श्री हिमांशु कुमार, रूम नं. 66, सारामती पीजी हॉस्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैंपस, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्र की उच्चशिक्षा में कथित रूप से बाधा डालने, बार-बार भेदभाव कर मानसिक उत्पीड़न करने व धमकी देने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीय उपाध्यक्ष महोदया सुश्री अनुसूईया उइके की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2019 को आयोग में आयोजित सिटिंग में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची –

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  - (1.) सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष
  - (2.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक
  - (3.) श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष महोदया के निजी सचिव
  - (4.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी**
  - (1.) प्रो. इनाक्षी खुल्लर शर्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग
  - (2.) श्री ओ. पी शर्मा, अनुभाग अधिकारी
  - (3.) श्री ब्रिजमोहन, अधिकारी, परीक्षा विभाग
- **अभ्यावेदनकर्ता**
  - (1.) हिमांशु कुमार